FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

- **कैलाश पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राज. व अन्य ।**

–प्रार्थी

बनाम

- **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य ।**

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 131, 136 भू.राज.अधि. 1956

दर्ज क्रमांक 89/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/151

वकील प्रार्थी :– अशोक शर्मा **वकील अप्रार्थीगण................**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27/8/24	**यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.रा.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 20/9/24 को पेश हो।** **उपखण्ड अधिकारी** **अरांई**	
20/9/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप। वास्ते तलबी समन पत्रावली दिनांक 18/10/24 को पेश हो **उपखण्ड अधिकारी** **अराई (अजमेर)**	
18/10/24	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / तलबी ....हेतु समय चाहा/वास्ते तलबी ...पत्रावली दिनांक 8/11/24...को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	

10/7/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारगण उपस्थित।
प्रतिवादी। धारा ... तालीम ... ।
P.O. साहब छुट्टी पर/रजिस्ट्रार/बोर्ड/अवकाश पर रहने से। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 20/8/15 को पेश हो।

20/8/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।
प्रतिवादी। से ... वाद पत्र तामील ...
अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। ... पत्रावली ...
... पत्रावली दिनांक 15/10/15 को पेश हो। WP

15/10/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।
... रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ... वादी एकपक्षीय साक्ष्य ... वादी ... नहीं किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। WP

प्र.पत्र... ... वादी ...

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 89/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधि0 1956

1.कैलाश पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राज
2. मदनलाल पुत्र श्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राज

प्रार्थीगण

बनाम्

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, अराई, जिला अजमेर राज
2. गोगा पुत्र हीरा
3. गोपाल पुत्र बीजा
4. नोसर पुत्री बीजा
5. बिशना पुत्र बींजा
6. रामकन्या पुत्री बींजा
7. रामधन पुत्र बीजा
8. श्योरांम पुंत्र सुवा
9. सांवर लाल पुत्र श्योराम

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 सर्वजाति बैरवा सर्वनिवासीगण ग्राम लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 15/10/2025

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री अशोक शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण / सहखातेदार व अन्य सहखातेदारों के स्वामित्व, आधिपत्य एव सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा भू अभि. नि. क्षेत्र लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राज में खसरा नम्बर 154 की स्थित है जो प्रार्थीगण की सहखातेदारी की है। उक्त खसरा नम्बर 154 के नक्शा ट्रेस सम्वत 2027 के मुताबिक वर्तमान सेमीग्रेशन नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि को कम कर दिया गया है तथा खसरा नं. 154 की भूमि को कम दर्शाया गया है जबकि सम्वत 2027 के नक्शे में ऐसी कोई त्रुटी नही थी। प्रार्थना पत्र के साथ सम्वत 2027 का नक्शा व सेमीग्रेशन नक्शा संलग्न है। दोनो नक्शो में हुए परिवर्तन को संलग्न नक्शे के आधार पर देखा जा सकता है। जिसकी पुष्टि नक्शा ट्रेस से की जा सकती है तथा जब प्रार्थी को उक्त खसरा नं. 154 के राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस की प्रति ऑनलाईन निकलवाई तब प्रार्थीगण को पता चला कि राजस्व अधिकारियों /पटवारी ने गलत तौर पर बिना प्रार्थीगण / सहखातेदार को सुने बिना ही खसरा नं. 154 के नक्शा ट्रेस में उक्त त्रुटी की है, जो सरासर गलत एंव अविधिक है। जिस कारण प्रार्थीगण को भयंकर नुकसान उत्पन्न हो रहा है। हल्का पटवारी द्वारा जानबूझकर एंव बदनियतिपूर्वक राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण / सहखातेदार की कृषि भूमि के नक्शे में गलत तौर पर उक्त परिवर्तन किया है जबकि उक्त राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में राजस्व कानून के अनुसार हल्का पटवारी को किसी भी राजस्व अधिकारी ने उक्त त्रुटी करने बाबत् किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया है तथा राजस्व रिकार्ड नक्शा में पटवारी महोदय द्वारा छेडछाड करके तथा प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की मंशा से नक्शा में गलत तौर पर परिवर्तित किया है।उक्त राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करके एंव शुद्धी करके पूर्व की भांती नक्शा ट्रेस

बनाने बावत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण के उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित राजस्व ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा भूअभि. नि. क्षेत्र लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राज में खसरा नम्बर 154 की कृषि भूमि के सेमीग्रेशन नक्शे को दुरूस्त करके पूर्व की भांती राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान फरमाया जायें एवं प्रार्थीगण का दावा डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटी को दुरूस्त करने बाबत् रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 27.8.2024को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण के सम्मन नोटिस दिनांक 4.7.2025को प्राप्त हुए तथा 20.8.2025 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रार्थी मौके पर पूर्व नक्शा सम्वत 2027 अनुसार कब्जा काश्त है । वर्तमान में मौके पर पूर्व नक्शा अनुसार काबिज है तथा वर्तमान नक्शे की स्थिति में भिन्नता है । मौके अनुसार व राजस्व नक्शे (सेग्रीगेशन) में अन्तर है। जिसकी नक्शा की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी का मौके पर पूर्व नक्शा संबत 2027 अनुसार कब्जा काश्त है। नजरी नक्शा पटवारी रिपोर्ट में अंकित है। पेरोकार जवाब अनुसार वर्तमान नक्शा व मौके अनुसार राजस्व नक्शा में भिन्नता है। **राजस्व नक्शा संवत 2027 अनुसार शुद्धि किया जाने की अनुशंषा की गई है ।**

तहसीलदार अराई की जांच रिपोर्ट अनुसार पेरोकार जवाब अनुसार वर्तमान नक्शा व मौके अनुसार राजस्व नक्शा में भिन्नता है। **राजस्व नक्शा संवत 2027 अनुसार शुद्धि किया जाने की अनुशंषा की गई है । हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अराई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि राजस्व नक्शा संवत 2027 अनुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अमल दुरूस्ती करे । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अमल दुरूस्ती की जायेगी। राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मे अमल दुरूस्ती इस प्रकार की जावे कि दुरूस्ती करने पर वर्तमान जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।**

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)